



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 745]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2008/ज्येष्ठ 9, 1930

No. 745]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2008/JYAISTHA 9, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2008

का.आ. 1277(अ).—केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उप-धारा (1) में परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, 1 जून, 2008 से उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट कर की तीन प्रतिशत की दर को कम करके दो प्रतिशत करती है।

[सं. 1/2008-के.वि.क.-फा. सं. 28/11/2007-एस.टी.]

आर. जी. छाबड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2008

S.O. 1277(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby reduces the rate of tax as specified in sub-section (1) of Section 8 of the said Act from three per cent to two per cent with effect from 1st June, 2008.

[No. 1/2008-CST-F. No. 28/11/2007-ST]

R. G. CHHABRA, Under Secy.